भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 974
दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल में संदूषण

974. डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महानगरों में आपूर्ति किए जा रहे पेयजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य संदूषित तत्वों का स्तर निर्धारित मानक स्तर से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो संदूषण का स्तर निर्धारित न्यूनतम स्तर से कितना ऊपर है;

(ग) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति किये जा रहे पेयजल की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महानगरों एवं शहरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ड.) पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता राज्य का विषय है। यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और रख-रखाव करे। केंद्र सरकार जल आपूर्ति प्रणाली पर व्यापक नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार कर तथा समय-

समय पर प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों/मिशनों के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, मैनुअल ऑन वॉटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेंट, 1999 के अनुसार, नागरिकों को आपूर्ति की जाने वाली जल आपूर्ति का स्वीकृत अधिकतम स्तर महानगरों और मेगा शहरों के लिए 150 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तथा अन्य शहरों के लिए 135 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के जल बोर्डों को नागरिकों को आपूर्ति की जाने वाली पेयजल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित आईएस कोड 10500:2012 ''पेयजल विनिर्देशन'' (दूसरा संशोधन) का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने 25 जून, 2015 को 500 चयनित मिशन शहरों में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (एएमआरयूटी) की शुरूआत की है। इस मिशन के तहत, जलापूर्ति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने चयनित मिशन शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 39,011 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं सहित 77,640 करोड़ रुपए की राशि की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदित किया है।